

ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. 98 of 2017

Date of
Order of
Proceeding

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

आज आरक्षी केन्द्र सी के उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक वीरेन्द्र सिंह
को 1082 द्वारा थाना प्रमारी की ओर से अपराध
को 02/17 अंतर्गत धारा 34 अपराध
भा.द.सं. / अधिनियम के अधीन दण्डनीय
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री सुबीषा चिदम्बिरम

अभियुक्त / अभियुक्तगण

जाल्म ठाकुर ठाकुर निवासी / निवासीगण वार्ड 13 डसिगुमि
थाना सी जिला राज्य से अभिदक्ता
उपरिस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
श्री मेमोरेण्डम / वकालतनामा

किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा.द.सं. / 34 अपराध अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द.प्र.सं. के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द.प्र.सं. की धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से 7000/- (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त किया जाये।

Date of
order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

चूँकि मामला सक्षिप्त विचारणीय है। अतः सक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त / अभियुक्तागण के विरुद्ध धारा 34 अमल भा0द0स0 / अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् दया सम्भव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तागण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिकम की दशा में अभियुक्त को 3 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति दोषी के नश्वर वस्तुओं में राजस्व के किये जाये। संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च

A.K.G. Gohad
Judicial Magistrate First class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तागण ने अर्थदण्ड की राशि 630/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 2008 रसीद क0 47 दी गई। अभियुक्त / अभियुक्तागण को राजा भुगतान गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K.G. Gohad
Judicial Magistrate First class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

राकेश।